आकाशवाणी श्री विजयपुरम

दिनांक : 26.08.2025 समय : 0705

<><><><><><><>

- केंद्र सरकार के यूपीएस विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में एकतरफा स्विच सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली संशोधन आदेश, 2005 तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
- प्रदूषण नियंत्रण समिति ने मूर्ति निर्माण और विसर्जन से संबंधित दिशा–निर्देश जारी किए हैं।
- केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया 29 से 31 अगस्त तक देश में फिट इंडिया के अखिल भारतीय खेल अभियान का नेतृत्व करेंगे।

<><><><><><><>

सरकार ने निर्णय लिया है कि एकीकृत पेंशन योजना–यूपीएस से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली–एनपीएस में एकमुश्त, एकतरफा स्विच सुविधा उन सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाएगी, जिन्होंने यूपीएस का विकल्प चुना है। वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि यूपीएस का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति की अनुमानित तिथि से तीन महीने पहले, जैसा भी लागू हो, इस स्विच सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा त्यागपत्र और नियम 56जे के मामलों के लिए भी आवश्यकतानुसार मामूली संशोधनों के साथ इसी तरह के प्रावधान किए जाएँगे। विभाग ने कहा है कि यदि उपरोक्त समय–सीमा के अनुसार स्विच सुविधा का उपयोग नहीं किया जाता है, तो कर्मचारी डिफ़ॉल्ट रूप से यूपीएस के तहत ही कार्यरत रहेगा। वित्त सेवा विभाग ने कहा कि स्विच सुविधा का लाभ उठाने के बाद, पीएफआरडीए विनियम, 2015 के प्रावधान लागू होंगे। संबंधित कर्मचारी सुनिश्चित भुगतान और यूपीएस लाभों के लिए पात्र नहीं रहेगा। विभाग ने कहा कि डिफ़ॉल्ट निवेश पैटर्न पर सरकार के अंतर अंशदान की गणना की जाएगी और निकासी के समय व्यक्ति के एनपीएस कोष में जमा कर दिया जाएगा।

<><><><><><><>

द्वीपसमूह में नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली संशोधन आदेश, 2005 तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसके तहत ई–केवाईसी की प्रक्रिया शुरू की गई है, जो हर पाँच साल में किया जाना अनिवार्य है। पंजीकृत सभी राशन कार्ड धारकों को कहा गया है कि कोई भी सदस्य अठारह वर्ष की आयु से पहले अलग राशन कार्ड रखने के लिए पात्र नहीं होगा, पाँच वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए आधार नम्बर दर्ज किया जाएगा और पाँच वर्ष की आयु पूरी होने के एक वर्ष के भीतर बच्चों के लिए ई–केवाईसी अपडेट किया जाएगा। जिन लाभार्थियों ने पिछले छह महीनों के दौरान राशन कार्ड का लाभ नहीं उठाया है, उनके राशन कार्ड अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। ऐसे निष्क्रिय राशन कार्डों को सक्रिय करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाएगा।

<><><><><><><>

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से मध्योत्तर अंडमान के कदमतला और लुइस इनलेट खाड़ी की जारवा जनजातियों के लिए एक बहु–विशिष्ट स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। अनिम्स और अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति के सहयोग से आयोजित इस शिविर का संचालन जनजातीय स्वास्थ्य के उप निदेशक के नेतृत्व में किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य जारवा जनजाति के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी स्थिति का आंकलन करना और मौके पर उपचार प्रदान करना था। शिविर के दौरान कुल 160 जारवाओं से संपर्क किया गया और उनकी संपूर्ण स्वास्थ्य जाँच की गई। दो वयस्कों और छह बच्चों को आगे की जाँच के लिए निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जी बी पंत अस्पताल भेजा गया।

<><><><><><><>

नागरिक उड्डयन विभाग ने द्वीपसमूह के प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए वाणिज्यिक हेलीकॉप्टर सेवाएँ शुरू करने में रुचि रखने वाले विमानन संचालकों के साथ एक पूर्व–आवेदन बैठक आयोजित की। बैठक में सात विमानन कंपनियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान प्राप्त जानकारी और सुझाव के आधार पर, प्रशासन द्वीपसमूह में वाणिज्यिक हेलीकॉप्टर सेवाएँ शुरू करने के लिए संचालक को अंतिम रूप देने का कार्य करेगा। विमानन संचालकों द्वारा रुचि की अभिव्यक्ति जमा करने की अंतिम तिथि 19 सितंबर, शाम 3 बजे तक है।

<><><><><><><>

अण्डमान निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति ने मूर्ति बनाने और विसर्जन को लेकर जारी किए गए दिशा–निर्देशों का पालन करने की अपील की हैं। इसके अंतर्गत मूर्ति को शास्त्रों में वर्णित प्राकृतिक पदार्थो से बनाया जाना चाहिए। मूर्ति निर्माण में पारम्परिक मिट्टी का उपयोग होना चाहिए।

मूर्ति बनाने मे प्लास्टर ऑफ पेरिस को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। मूर्तियों को रंगने से परहेज किया जाना चाहिए। विसर्जित की जाने वाली मूर्तियों की रंगाई में सिनथैटिक रंगों का इस्तेमाल निषेध है। मूर्ति के संपूर्ण ढांचे को चालीस फीट से कम का रखना चाहिए। पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाले फूल, वस्त्र, साज–सजावट के अन्य सामानों को विसर्जन से पूर्व हटा देना चाहिए। जैविक और अन्य पदार्थों को अलग–अलग एकत्र कर इनका निस्तारण करना चाहिए। उत्सव के दौरान एकल इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। विसर्जन का कार्य उच्च ज्वार रेखा और निम्न ज्वार रेखा के बीच केवल चिन्हित स्थानों पर ही किया जाएगा। समिति ने एक जन–सूचना जारी कर सभी मूर्ति निर्माता और पूजा समितियों से इन दिशा–निर्देशों का पालन करने को कहा है।

<><><><><><><>

केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया इस महीने की 29 से 31 तारीख तक देश में फिट इंडिया के अखिल भारतीय खेल अभियान का नेतृत्व करेंगे। दिग्गज हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के सम्मान में यह अभियान राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी खेल और फिटनेस अभियान एक घंटा, खेल के मैदान में विषय के अन्तर्गत मनाया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि प्रतिष्ठित एथलीट और जनप्रतिनिधि भी राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह में भाग लेंगे और देश के सभी कोनों में खेल गतिविधियों में शामिल होंगे।

<><><><><><><>

राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के एक भाग के रूप में, खेल एवं युवा मामले विभाग ने शिक्षा विभाग के सहयोग से तैराकी प्रतियोगिता, बास्केटबॉल और फुटबॉल के कल फाइनल मैच खेले गए। पुरूषों का ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट आज जे एन आर एम मैदान में खेला जा रहा है, जबकि महिलाओं का टूर्नामेंट कल आयोजित किया जाएगा। पुरूषो के लिए ओपन बास्केटबॉल मिनी बे कमांड बहुउद्देश्यीय हॉल में आज सुबह साढ़े आठ बजे से खेला जाएगा।

<><><><><><><>

पशुपालन और डेयरी विभाग ने कल देश में पशुओं के लिए रक्त चढाने और रक्त बैंकों के लिए दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रियाएँ जारी कीं। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य राज्य पशु चिकित्सा रक्त बैंक स्थापित करना है। यह निर्णय भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और विशेषज्ञों के साथ परामर्श के बाद लिया गया है।

इन मानक संचालन प्रक्रियाओं में दाता चयन, रक्त संग्रह, भंडारण, निगरानी और पशुओं में सुरक्षा उपायों के लिए एक वैज्ञानिक और नैतिक ढाँचा प्रदान किया गया है।

<><><><><><><>

विद्युत विभाग के एन आर एस ई डिविजन की ओर से पीएम–सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने पर केन्द्र और केन्द्रशासित प्रदेश की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य आवासीय उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इसके लिए उपभोक्ता pmsuryaghar.gov.in पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विभाग के मेल पर संपर्क किया जा सकता है।

<><><><><><><>